न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य- प्रदेश)

खण्डपीठ- रीवा (म० प्र०)

483

शिवप्रसाद तनय पचई कहार, साकिन- खुटार,

तहसील- मानपुर जिला- उमरिया(म०प्र०)----निगरानीकर्ता/आवेदक

ब नाम

R 573-II/12

म०प्र० शासन राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर

उमरिया, जिला- उमरिया(म० प्र०) ------ अनावेदक/उत्तरदाता

राजस्व निगरानी-

विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया (म०प्र०) ब सिलसिले रा. प्र. क्रं. - 05/स्वा निगरानी / 2011-12 (कलेक्टर जिला- उमरिया का प्र. क्रं. 95अ19(4)/09-10) आदेश दि०- 30.11.2011 जिसके द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मानपुर के रा. प्र. क्रं. - 194अ19(4)/87-88 में पारित आदेश दि०- 15.10.88 को निरस्त किया गया है

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अधिवक्ता श्री रजनीकुमार सोनी द्वारा प्रस्तुत।
27/02/2012

7.3.12

27/2/12

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि मौजा-खुटार स्थित आराजी खसरा नं.-188 रकबा 2.023 हे० का भूमिस्वामी अधिकार म.प्र. ग्रामों की दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधि० 1984 के अंतर्गत विधि अनुसार संपूर्ण प्रक्रियाओं को अपनाते हुए निगरानीकर्ता को भूमिहीन होने के कारण प्रदाय किया गया था उक्त भूमि पर किसी प्रकार के झाड़, जंगल आदि नही है और न ही भूमि किसी निस्तार प्रयोजन की रही है ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति न होने से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-573-दो/2012 जिला-उमरिया

शिवप्रसाद कहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 05/स्व.निगरानी/2011-12 एवं कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 95/अ-19(4)/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

22/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 28-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

22/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य